प्रपत्र 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक भादरा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी :– **श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.**

उनवान

1. सुभाष पुत्र जगदीश जाति जाट निवासीगण कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रोहिताश पुत्र जगदीश जाति जाट निवासीगण कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र किसनाराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– असल प्रतिवादी

2. शाखा प्रबन्धक ओबीसी शाखा भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
मुकदमा नम्बर :– 150/18
निर्णय दिनांक :– 13.06.2018

वादी की ओर से वकील श्री रामस्वरूप देहडू व प्रतिवादी की ओर से वकील श्री अमित देहडू की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.06.2018 को मुझ **राजकुमार कस्वा** सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर घोषणा की जाती है, कि :–

रोही मौजा कणाऊ बारानी के खाता सं0 76/168 के खसरा सं0 91/2 की 2.2790 है0, खसरा सं0 156/3 की 2.9590 है0 खसरा सं0 157/1 की 2.6720 है0 कुल 7.9100 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी जगदीश के नाम खातेदारी दर्ज है में वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 तीनों बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। चूकि वादकृषि भूमि बैंक के रहन है, इसलिए रहन मुक्त होने के पश्चात ही राजस्व रिकार्ड में अमल कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय व डिक्री आज दिनांक **13.06.2018** को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

पीठासीन अधिकारी

सहायक कलक्टर, फास्ट ट्रैक
भादरा (हनुमानगढ)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट भादरा (हनुमानगढ़)